कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

क्रमांक एफ ( ) तकनिकी/उवसं/2021–22/6761 दिनांक : 03.11.2021

निमित्त,

अधिशाषी अभियन्ता,
132 केवी जीएसएस,
जोधपुर रोड
विद्युत प्रसारण नि.लि. जैसलमेर

विषय :— Diversion of 0.122 Ha. of forest land toward proposed Construction of 132 KV S/C Chandhan-Mohangarh Transmission Line in Jaisalmer dist. Rajasthan in favor of Executive Engineer, (T&C) RVPN, 132 KV GSS premises Jodhpur road Jaisalmer Regd-Proposal No FP /RJ/ TRANS/ 44263/2020 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के बाबत्।

प्रसंग :— शासन सचिव (वन) राजस्थान सरकार वन विभाग का आदेश कमांक प. 1 (67) वन/2021 दिनांक 01-11-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि 132KV GSS Chandan to Proposed 132KV GSS Mohangarh of 132 KV S/C Chandhan-Mohangarh Transmission Line के निर्माण हेतु 0.122 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जैसलमेर वन मण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की वन पट्टी में सम्मिलित रक्षित वनभूमि की 0.122 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं 1 वृक्ष के पातन की, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार प्रदान की गई हैं। अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो के अनुसार निम्नानुसार राशि जमा करावे :—

बिन्द सं	विवरण	पौधों की संख्या/ क्षेत्रफल (है.)	दर	राशि रूपयो में
1	वन मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत परिभ्राषित वनभूमि पर 1 वृक्ष के पातन अनुसार 100 वृक्ष लगाने हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि जमा करावे	100 Plant	Labour Rate Rs 252 Per day	118589
	वन मण्डल जैसलमेर में अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की वन पट्टी में सम्मिलित रक्षित वनक्षेत्र 0.122 हैक्टर प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) के रूप में राशि जमा करावे।	0.122	438000	53436
	छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना हेतु राशि जमा करावे।	0.50	587072	293536
			योग	**465561**

2 अगर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कोई राशि की मांग अथवा वर्तमान मूल्य की दरों में बढोतरी होती हैं तो अतिरिक्त अन्तर राशि अदा करने संबंधी अण्डरटेकिंग पत्र प्रस्तुत करे।

3 राजस्थान सरकार वन विभाग का आदेश कमांक प. 1 (67) वन/2021 दिनांक 01-11-2021 में वर्णित सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित कर, इस कार्यालय में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे।

4 सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार 1 वृक्ष के पातन की अनुमति दी गयी हैं। यदि आप द्वारा 1 पेड काटा जाता है तो उससे पूर्व इस कार्यालय से अनुमति लेनी होगी और नियमानुसार राशि जमा करवानी होगी।

बिन्दु संख्या 1 में वर्णित राशि सीधे ही Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rajasthan, S.B. A/c N0 – 037100101025225 – Corporation bank, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi 110003 (RTGS/IFSC No – CORP0000371) में जमा करावे।

उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना कर, रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि विधिवत स्वीकृति वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जा सके।

भवदीय

(जी.के.वर्मा)
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

कमांक एफ ( ) तकनिकी/उवसं/2021–22/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, पोकरण।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाठी को देकर लेख हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण को 1 वृक्ष के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी हैं। परन्तु इस कार्यालय की अनुमति के बिना प्रयोक्ता अभिकरण को पेड काटने एवं अन्य कोई कार्य आवेदित क्षेत्र में नही करने देवे।

उप वन संरक्षक
जैसलमेर